राजस्थान सरकार
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई – डीपीआईपी

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2226175

प.1 (135) ग्रा.वि. / डीपीआईपी / 2006 जयपुर, दिनांक 01.03.2007

जिला परियोजना प्रबंधक,
डीपीआईपी,
बांरा / चुरू / दौसा / धौलपुर /
झालावाड़ / राजसमन्द / टोंक।

विषयः– गैर सरकारी संस्थाओं को सीएमआईएस डेटा के भुगतान के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– प. 2(64) ग्रा.वि. / डीपीआईपी / 2005 दिनांक 03.06.2006

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा एनजीओं को सीएमआईएस डेटा के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, सीएमआईएस फॉरमेट में निम्न प्रकार से संशोधन किये गये है। संशोधित फॉरमेट संलग्न है।

कमांक	फॉरमेट नाम	एनजीओं द्वारा पूर्व में फॉरमेट देने की आवृत्ति	एनजीओं द्वारा फॉरमेट देने की परिवर्तित आवृत्ति	प्रति सीआईजी, प्रति माह भुगतान राशि (रू.)
1.	प्रपत्र एम 1.1	मसिक	मसिक	30 / –
2.	प्रपत्र एम 3.1 एंव प्रपत्र एम 3.1.1 से 3.1.4	मसिक	मसिक	30 / –
3.	प्रपत्र 11	त्रैमासिक	मसिक	20 / –
4.	प्रपत्र 12	त्रैमासिक	मसिक	20 / –

जिला इकाई द्वारा जिलें में कार्यरत सभी गैर सरकारी संस्थाओं को उक्त संशोधित Formats की Soft Copy उपलब्ध कराते हुए भविष्य में सीएमआईएस डेटा नये फॉरमेट में दिये जाने हेतु निर्देशित करें । एनजीओं द्वारा उक्त डेटा को सम्बन्धित डीपीएमयू कार्यालय में उपलब्ध कराने के बाद भुगतान की कार्यवाही को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है।

प्रथम चरण : NGO द्वारा प्रतिमाह 1 से 10 तारीख के मध्य गत माह से सम्बन्धित सभी CMIS Format (CD या Hard Copy) में दिये जावेंगे। उदाहरणस्वरूप माह मार्च में माह फरवरी की प्रगति से सम्बन्धित फार्मेट ही स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से दिए गए फार्मेट स्वीकार्य नहीं होगें।

द्वितिय चरण : डीपीएमयू द्वारा अतिशीघ्र (1 या 2 दिन में) इन फार्मेटों का अवलोकन करके तय कर लिया जावें कि इनमें कोई कमी तो नहीं है। सभी Format सम्बन्धित डेटा सहित सही भरे होने की स्थिति में स्टेप 3 का अनुसरण किया जावेगा। अन्यथा स्टेप 5 की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

तृतीय चरण : CMIS में उक्त डेटा की Feeding तीन दिवस में पूरी कर ली जावेगी।

चतुर्थ चरण : NGO के बिल का CMIS की सूचना प्राप्ति के 7 दिवस (2 दिवस अवलोकन + 3 दिवस फीडिंग + 2 दिवस Processing of Payment) में भुगतान कर दिया जावे ।

पंचम चरण : Feeding कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तत्काल CMIS की CD SPMU भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

छष्टम चरण : NGO द्वारा दिए गए Format में कमी पाए जाने पर 3 दिवस के भीतर NGO को पत्र द्वारा कमी का उल्लेख करते हुए, वांछित सुधार कर Format को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर जिला प्रबंधन इकाई को पुनः लौटाने हेतु लिखें।

Format(s) में पाई कमी सुधार कर NGO द्वारा अगर उसी माह वापस न किया जाये तो ऐसे विलम्ब से प्राप्त Data भुगतान योग्य नहीं माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में जो Format सही प्राप्त हुए है उनका भुगतान तय दर से किया जा सकता है।

इस प्रकार आंशिक फॉरमेटों का भुगतान अधिकतम 2 माह के लिए ही किया जा सकता है। NGO द्वारा कोई Format विशेष अगर इसके बाद के माह में भी नहीं दिया जाता है तो पूर्व सूचित करते हुए अन्य Format(s) का भुगतान भी रोक दिया जावे। मार्च के प्रथम सप्ताह में माह जनवरी, फरवरी के फॉरमेंट भुगतान हेतु स्वीकृत किये जा सकेगे। आगे अप्रेल 2007 से अन्तिम पिछले माह के फॉरमेट भुगतान हेतु स्वीकृत किये जा सकेगे।

उप निदेशक
(डीपीआईपी)

संलग्न :— संशोधित CMIS Format की प्रति सी.डी. सहित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :— निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, डीपीआईपी, जयपुर।

उप निदेशक
(डीपीआईपी)